लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 17 वीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सम्बोधित किया

नई दिल्ली, 03 जुलाई, 2019: केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सत्रहवीं लोक सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों हेतु आज संसदीय सौध में एक प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया ।

उद्घाटन भाषण देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन प्रतिनिधियों के रूप में सदस्यों को यह याद रखना चाहिए कि अलग-अलग पार्टियों से जुड़े होने के बावजूद के एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री सिंह ने सदस्यों को यह सलाह दी कि उन्हें संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं, भारत के संविधान के प्रावधानों, संविधान सभा के वाद-विवादों की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही उन्हें सुविख्यात राजनेताओं के भाषणों/लेखों का भी उद्देश्यपरक अध्ययन करना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सदस्य सदन की गरिमा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए वाद-विवाद में बोलते समय सजग रहें। श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सदस्यों को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर देकर उनका कद ऊँचा किया है और अब जनता के लिए ईमानदारी से काम करना उनका कर्त्तव्य है। श्री राजनाथ सिंह ने लोक सभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन और पहली बार निर्वाचित सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने के पर्याप्त अवसर देने के लिए बधाई दी।

अपने भाषण में नए सदस्यों को बधाई देते हुए लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि 17वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में उन्हें लोकतंत्र के मंदिर में आने का अवसर मिला है। नए सदस्यों से उन्हें नई ऊर्जा मिलती है और यह उनका प्रयास है कि उनकी ऊर्जा से नए विचार मिलें। उन्होंने कहा कि सदस्य कानून निर्माण करते हैं और साथ ही विधायी प्रक्रिया के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखते हैं। उन्होंने नए सदस्यों से आग्रह किया कि वे अधिकतम समय संसद में व्यतीत करें जिससे कि उन्हें वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिले। उन्होंने कहा कि नए सांसद अपने क्षेत्र और निर्वाचकों की आशाओं और आकांक्षाओं को वाणी देना चाहते हैं और संसद से अधिक सशक्त मंच उपलब्ध नहीं है। महिला सांसदों को बोलने के अधिक अवसरों की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में उनके भाग लेने से लोकतंत्र सुदृढ़ होगा।

मोबाइल पर सदन की वीडियो फुटेज और नियमों/प्रक्रियाओं के विषय में सांसदों के घर पर स्पष्टीकरण की पहल का जिक्र करते हुए श्री बिरला ने कहा कि लोक सभा सदस्यों के काम को अधिकाधिक सपोर्ट दिया जाएगा। सांसदों की सदन में हंगामे और वेल में आने की प्रवृत्ति से

बचने का आग्रह करते हुए श्री बिरला ने कहा कि सांसदों का प्रयास यह रहना चाहिए कि वे संसदीय परम्पराओं का सम्मान करें। उन्होंने राजनीतिक दलों से नए सदस्यों को कार्यवाही में अधिकाधिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान भी किया।

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की ताकत है कि हम जन प्रतिनिधि बनकर संसद में आये हैं और इसलिए हम पर जनता की भारी अपेक्षाओं की जिम्मेदारी को पूरा करने का गुरूतर दायित्व है। श्री जोशी ने सुझाव दिया कि नव-निर्वाचित सदस्यों को सभा की कार्यवाही में भाग लेते समय समर्पण, भागीदारी और विमर्श करने का मंत्र अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक प्रभावी सांसद और संसदीय लोकतंत्र का मॉडल बनने के लिए सदस्यों को नियमित रूप से सभा में उपस्थित रहना चाहिए, वाद-विवाद को सक्रियता से सुनना चाहिए और अपने विचार रखते समय संवादपरक होना चाहिए।

लोक सभा में कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष के बिना लोकतंत्र नहीं बचेगा। विपक्ष संतुलन का काम करता है। अगर सरकार अपने दायरे के बाहर जायेगी तो संविधान हमारे साथ है। हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विविधता हमारी धरोहर है और उसे बचाने का काम हमें करना है। सांसदों के कर्तव्यों के बारे में उन्होंने कहा कि उनका पहला कर्तव्य देश के लिए होना चाहिए, दूसरा कर्तव्य अपने निर्वाचकों के लिए और तीसरा कर्तव्य अपने दल के लिए होना चाहिए ।

इससे पूर्व बीपीएसटी के मानद सलाहकार श्री रघुनंदन शर्मा ने स्वागत भाषण दिया । लोक सभा की महासचिव श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित किया ।

लोक सभा के संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (बीपीएसटी) द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य नव-निर्वाचित सदस्यों को विभिन्न संसदीय प्रक्रियागत साधनों और संबंधित विषयों जैसे 'प्रभावी सांसद कैसे बनें ?' , 'संसदीय प्रश्न और सभा में मामलों को उठाने के लिए अन्य प्रक्रियात्मक साधन', 'जन सम्पर्क प्रभारी', 'विधायी प्रक्रिया- विधेयक (गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों सहित) संकल्प/प्रस्ताव', 'बजट प्रक्रिया', 'संसदीय समितियां (वित्तीय समितियों सहित)', 'विधान निर्माण कैसे होता है', 'संसदीय विशेषाधिकार और आचार' और 'शिष्टाचार और आचार' से परिचित कराना है ।